



दिनांक	आदेश	अनुमति
27 <sup>01</sup> / <sub>2021</sub>	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>आवेदक 1.जोगेन्द्र दास, पिता/पति- स्व० सिद्धेश्वर दास, ग्राम- गितिलिपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलिपी, थाना नं०- 580, खाता नं०- 103, प्लॉट नं०- 554, रकवा- <math>0.05\frac{1}{2}</math> एकड़, भूमि क्रेता इन्दु कुमारी महतो, पिता/पति- हरि महतो, ग्राम- परमसदा, थाना नं- कुमारडुंगी के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की गई हैं। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) परन्तुक (बी) के अंतर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता- के नाम से से ना०मु०सं०- 112/2011- 12 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 82, दिनांक- 22.01.2021 के द्वारा प्राप्त है। चिकित्सा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भूखण्ड को क्रेता इन्दु कुमारी महतो, पिता/पति- हरि महतो, ग्राम- परमसदा, थाना- कुमारडुंगी के पास 3,00,000.00/- (तीन लाख रूपये) मात्र में विक्री करना चाहती है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है एवं पिछड़ी जाति के सदस्य है। आम सूचना का तामिला प्राप्त हैं। किसी प्रकार को कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट के बिक्री के पश्चात् भी 2.40 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषणा हेतु पैत्रिक भू- सम्पति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता जोगेन्द्र दास, पिता/पति- स्व० सिद्धेश्वर दास, ग्राम- गितिलिपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलिपी, थाना नं०- 580, खाता नं०- 103, प्लॉट नं०- 554, रकवा- <math>0.05\frac{1}{2}</math> एकड़, भूमि को क्रेता इन्दु कुमारी महतो, पिता/पति- हरि महतो, ग्राम- परमसदा, थाना- कुमारडुंगी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) परन्तुक (बी) के अंतर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p>	
	<p>लेखापित</p> <p></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर चाईबासा।</p>	<p></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर चाईबासा।</p>